



## पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01-09-2020

दिनांक 31/01-09-2020 को रात्रि थाना सुटान्त गोल्फ सिटी 01, मडियॉव 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 पटिचमी

### गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही।

थाना ठाकुरगंज:-दिनांक 31-08-2020 को श्री राज कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना ठाकुरगंज लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01-परवेज खान उर्फ मुन्ना पुत्र मो0 पुत्तन खान निवासी सलीम कबाडी के नीचे बने मकान श्री भगवान के घर में किरायेदार डूडा कालोनी राधाग्राम थाना ठाकुरगंज लखनऊ 02-हिमांशु सिंह उर्फ बलवन्त पुत्र बलवन्त निवासी जलनिगम गेट के सामने निकट शियो का मकबरा मिश्रीबाग थाना ठाकुरगंज लखनऊ 03-करन कटयप पुत्र बल्लू कटयप निवासी महादेव के घर के पास मोहल्ला बर्फखाना निकट जय दुर्गे बाल विद्या मन्दिर विजय लाईट वाले का पास थाना ठाकुरगंज लखनऊ के विरूद्ध थाना ठाकुरगंज पर गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

### भा0द0वि0

थाना बाजारखाला:-दिनांक 01-09-2020 को थाना बाजारखाला द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 01-09-2020 को श्री अखिलेटा पुत्र टोडीलाल निवासी 290/80 चिरौंधापुरवा ऐटाबाग थाना बाजारखाला लखनऊ ने थाना बाजारखाला पर सूचना दिया कि उसका छोटा भाई दीपू उम्र करीब 31 वर्ष जो घर में ही अलग रहता था, और ञाराब पीने का आदी था। दिनांक 31-08-2020 की रात्रि को समय करीब 10.30 बजे उसके छोटे भाई दीपू ने घर के प्रथम तल में स्थित कमरों की छत में लगे पंखे में साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी है। इस सूचना पर एस0आई0 श्री अरविन्द कुमार सिंह मो0नं0- 9454409288 द्वारा आवंटयक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जिनके द्वारा बताया गया मृतक मजदूरी करता था। मृतक के दो पुत्री है।

बंधरा:-दिनांक 01-09-2020 को थाना बंधरा द्वारा बताया गया कि वादी श्री विजय कुमार पुत्र स्व0 रामस्वरुप निवासी ग्राम भटगांव थाना बंधरा लखनऊ ने थाना बंधरा पर सूचना दिया कि दिनांक 31-08-2020 को वादी अपनी पत्नी नीलम उम्र करीब 26 वर्ष को मोटर साइकिल नं0 यूपी 32 केसी-1634 पर पीछे बैठाकर ग्राम डेहवा अपनी ससुराल

से वापस अपने घर जा रहा था, कि जैसे ही समय करीब 12.00 बजे मोहनलालगंज-जुनाबगंज रोड़ पर स्थान किटानपुर कौड़िया मोड़ के पास स्थित इंडियन आयल पेट्रोल पम्प टंकी के ठीक पहले पहुंचा कि तभी पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने तेजी व लापरवाही से गाड़ी चलाकर वादी की मोटर साइकिल में टक्कर मार दिया, जिससे वादी की पत्नी गम्भीर रूप से घायल हो गयी, जिसको इलाज हेतु अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही वादी की पत्नी की मृत्यु हो गयी। इस सूचना पर थाना बंधरा पर मु0अ0सं0 319/2020 धारा 319/2020 धारा 279/337/304ए/427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री आफताब आलम मो0नं0 9161042252 द्वारा की जा रही है।